प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

न्यायपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

विविध अपील क्रमांक 796/2006

अपीलकर्ता 1. दसई राम, पिता झागूराम, आयु लगभग 60 वर्ष

दावेदार (मृतक शिवराम के पिता)

2.बलमत्ति, पति दसई राम, आयु लगभग 50 वर्ष

(मृतक शिवराम की माता)

दोनों निवासी - ग्राम बुलगा, तहसील लुंड्रा, जिला सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यार्थी: 1.फिरोज़ खान, पिता सगीर खान, आयु लगभग 30 वर्ष, पेशा—बस का मालिक, निवासी—राम मंदिर के पास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) (मालिक)

2.राजा बाबू, पिता जगदेव प्रसाद, आयु लगभग 28 वर्ष, पेशा—चालक, निवासी—ग्राम डुमरडीह, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) (चालक)

3.द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, मनेन्द्रगढ़ रोड, अंबेडकर चौक के पास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (बीमाकर्ता)

विविध अपील क्रमांक 843/2005

अपीलकर्ता 1.श्रीमती धरमबाई, पति स्व. शिवराम, आयु लगभग 25 वर्ष

(मृतक शिवराम की पत्नी)

2.कु. आशा, पिता स्व. शिवराम, आयु लगभग 6 वर्ष (माता श्रीमती धरमबाई—नाबालिक संरक्षक)

सभी निवासी—ग्राम बुलगा, जिला सरगुजा, थाना धौरपुर, छत्तीसगढ़।

बनाम

प्रत्यार्थी:1.फिरोज़ खान, पिता सगीर खान, आयु लगभग 30 वर्ष, पेशा—बस का मालिक, निवासी—राम मंदिर के पास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

(मालिक)

2.राजा बाबू, पिता जगदेव प्रसाद, आयु लगभग 28 वर्ष, पेशा—चालक, निवासी—ग्राम डुमरडीह, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) (चालक)

3.द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, मनेन्द्रगढ़ रोड, अंबेडकर चौक के पास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (बीमाकर्ता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपील ज्ञापन

उपस्थित**:** श्री एन. के. मेहता- अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता

श्री ए.के.अठाले- प्रत्यार्थी क्रमांक 3(ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) के अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 05 मार्च, 2011)

इस न्यायालय का निम्न आदेश मुख्य न्यायाधीश राजीव गुप्ता द्वारा पारित किया गया:

चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अंबिकापुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा संख्या 32/2003 और 33/2003 में पारित आक्षेपित अधिनिर्णय दिनांक 29.01.2005 के विरुद्ध प्रतिकर की वृद्धि के लिए ये दो विविध अपीलें दायर की गई हैं।

2)अपीलकर्ता श्रीमती धरमबाई और कु. आशा, दिवंगत शिवराम की विधवा और नाबालिग पुत्री (विविध अपील संख्या 843/2005 में अपीलकर्ता) और अपीलकर्ता दसाई राम और बलमती, दिवंगत शिवराम के पिता और माता (विविध अपील संख्या 796/2006 में अपीलकर्ता) ने

03.06.2002 को मोटर दुर्घटना में शिवराम की मृत्यु के लिए प्रतिकर मांगते हुए अधिकरण के समक्ष अलग-अलग दावा याचिकाएं दायर की थीं।

3) अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच के आधार पर यह माना कि दिवंगत शिवराम की मृत्यु 03.06.2002 को मोटर दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी और दुर्घटना, पंजीकरण संख्या एम.पी.27/8/3577 वाली बस के चालक द्वारा लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई थी; चूंकि उक्त बस दुर्घटना की तिथि पर द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित थी और बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को स्थापित नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी।

4) चूंकि प्रत्यर्थियों ने अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष अब अंतिम हो गए हैं।

5) अधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में अंतर्निहित *काल्पनिक आय* के आधार पर मृतक की आय ₹15,000/- प्रतिवर्ष आंकी। मृतक के निजी खर्चों हेतु ₹15,000/- का 1/3 घटाकर आश्रितों की वार्षिक निर्भरता ₹10,000/- निर्धारित की गई। उपरोक्त वार्षिक निर्भरता ₹10,000/- पर 17 का गुणक लागू करते हुए प्रतिकर राशि ₹1,70,000/- निर्धारित की गई। अन्य मदों में ₹7,000/- अतिरिक्त प्रदान कर अधिकरण ने कुल ₹1,77,000/- का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया। इसके अतिरिक्त, दावा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक उक्त प्रतिकर राशि ₹1,77,000/- पर 9% वार्षिक ब्याज दर देय किया गया। अधिकरण ने प्रतिकर राशि ₹1,77,000/- का बँटवारा —पत्नी एवं पुत्री तरफ़ तथा माता-पिता तरफ़ —**50 : 50** के बराबर अनुपात में किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6) दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से श्री एन. के. मेहता ने यह तर्क दीया कि अधिकरण ने मृतक की आय के संबंध में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को स्वीकार न करके त्रुटि की है तथा मृतक की आय मात्र ₹15,000/- प्रतिवर्ष आंककर और केवल ₹1,77,000/- का अल्प प्रतिकर प्रदान करके त्रुटि किया है।

7) इसके विपरीत, प्रतिवादी क्रमांक 3 — ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड — की ओर से श्री ए. के. अठाले ने अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा प्रदत्त ₹1,77,000/- की प्रतिकर राशि न्यायोचित एवं उचित प्रतिकर है।

8) मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया जाने वाला प्रतिकर, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित एवं समुचित होना चाहिए। वह न तो अत्यल्प (नाममात्र) होना चाहिए और न ही एकदम अत्यधिक।

9) अब हम यह परखेंगे कि अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया ₹1,77,000/- का प्रतिकर वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित तथा समुचित प्रतिकर है या नहीं।

10) यह सत्य है कि दावेदारों ने यह अभिकथन किया कि मृतक शिवराम चालक के रूप में कार्य करता था और लगभग ₹4,500/- प्रतिमाह कमाता था, किंतु अधिकरण के समक्ष ऐसा कोई विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृतक पेशे से चालक था तथा उसकी आय ₹4,500/- प्रतिमाह थी। यहाँ तक कि मृतक के नियोक्ता को भी दावेदारों द्वारा साक्ष्य हेतु अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस स्थिति में, मृतक की आय संबंधी दावेदारों के साक्ष्य को अस्वीकार करने में अधिकरण की कार्यप्रणाली में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) तथापि, वर्ष 2002 में अधिकरण द्वारा मृतक की आय मात्र ₹15,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाना निश्चित रूप से कम प्रतीत होता है तथा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

12) यह विचार करते हुए कि दुर्घटना की तिथि को मृतक शिवराम की आयु लगभग 30 वर्ष थी, हमारा मत है कि वर्ष 2002 में वह एक अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करके भी प्रतिदिन ₹70–75 तक सहज ही कमा सकता था। अतः हम मृतक की आय ₹2,000/- प्रतिमाह तथा ₹24,000/- प्रतिवर्ष मानते हुए प्रतिकार की पुनर्गणना किया जाना प्रस्तावित करते है।

13) मृतक के व्यक्तिगत खर्च की मद में ₹24,000/- की सामान्यतः स्वीकृत 1/3 राशि घटाने के पश्चात् दावेदारों की वार्षिक निर्भरता ₹16,000/- निर्धारित की जाती है।

14) मृतक की आयु, उसकी पत्नी, पुत्री तथा माता-पिता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हमारा मत है कि वर्तमान प्रकरण में 16 का गुणक उपयुक्त रहेगा।

15) ₹16,000/- की वार्षिक निर्भरता पर 16 का गुणक लागू करने पर प्रतिकर राशि ₹2,56,000/- निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त दावेदार अंतिम संस्कार व्यय हेतु ₹5,000/-, संपत्ति हानि के लिए ₹5,000/- तथा पत्नी को दांपत्य हानि के लिए ₹5,000/-

प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार दावेदार मोटर दुर्घटना में मृतक शिवराम की मृत्यु के लिए कुल ₹2,71,000/- का प्रतिकर पाने के हकदार हैं।

16) दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ ने निवेदन किया कि अधिकरण के समक्ष उस अवधि के बारे में किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिए, जिसके लिए दावेदार बढ़ी हुई प्रतिकार की राशि पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं, बढ़ी हुई मुआवजे की राशि पर ब्याज की राशि इसी अपील में ही निर्धारित की जाए।

17) प्रकरण के समस्त सुबंगत पहलुओं पर विचार करते हुए—जिसमें दावा प्रकरण तथा वर्तमान अपील के निस्तारण में हुई देरी तथा यह तथ्य भी सम्मिलित है कि संपूर्ण देरी के लिए केवल बीमा कंपनी को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता—हम बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि ₹94,000/- पर देय ब्याज की राशि ₹11,000/- निर्धारित करते हैं।

18) यह देखते हुए कि दुर्घटना की तिथि को मृतक के माता-पिता की आयु लगभग 60 वर्ष एवं 50 वर्ष थी तथा मृतक की पत्नी एवं पुत्री की आयु मात्र 25 वर्ष एवं 6 वर्ष थी, हम यह निर्देश देते हैं कि इस अपील में प्रदान की गई संपूर्ण बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि तथा उस पर देय ब्याज केवल मृतक की पत्नी श्रीमती धरमबाई एवं पुत्री कु. आशा को भुगतान योग्य होगा। मृतक के माता-पिता—दसई राम एवं बलमत्ती— बढ़ी हुई प्रतिकर की और उस पर देय ब्याज में किसी भी प्रकार का हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, दोनों अपीलें अर्थात् एम.ए. क्रमांक 796/2005 एवं 843/2005, जो अपीलकर्ता–दावेदारों द्वारा मुआवज़े में वृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई थीं, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिकर की राशि ₹1,77,000/- को बढ़ाकर ₹2,71,000/- किया जाता है तथा बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि ₹94,000/- पर निर्धारित ब्याज की राशि ₹11,000/- भी देय होगी।

20) प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह कुल ₹1,05,000/- (अर्थात् बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि ₹94,000/- तथा उस पर निर्धारित ब्याज राशि ₹11,000/-) को इस आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर संबंधित दावा अधिकरण में जमा करे।

21) प्रत्यर्थी क्रमांक 3 — ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड — द्वारा अब देय कुल राशि ₹1,05,000/- संपूर्णतः एम.ए. क्रमांक 843/2005 के अपीलकर्ता श्रीमती धरमबाई एवं कु. आशा को भुगतान की जाएगी।

22) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.